दिनांकः— 04.07.2018

आर0के0डी0एफ0 मेडिकल कालेज, भोपाल में सत्र 2017—18 में प्रवेशित छात्रों को सत्र 2018—19 में अन्य निजी चिकित्सा महाविघालयों में समायोजन करने संबधित आवश्यक दिशा निर्देश

1. छात्रों के आवंटन की ऑनलाईन प्रक्रिया एमपी ऑनलाईन पोर्टल dme.mponline.gov.in पर की जायेगी।
2. छात्रों को काउंसिलिंग संबंधी सूचना एस0एम0एस0 /विज्ञापन/ई—मेल/दूरभाष के माध्यम से इस संबंध में सूचना दी जायेगी।
3. छात्रों को प्रक्रिया में भाग लेने हेतु एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं च्वाईस फिलिंग करनी होगी। च्वाईस फिलिंग करते समय छात्र को उसकी प्राथमिकता के आधार पर 06 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का विकल्प दर्ज करना होगा। च्वाईस फिलिंग उपरान्त छात्र को च्वाईस लॉक करनी होगी।
4. च्वाईस फिंलिग के पश्चात छात्र को रूपये—1000/— (रू. एक हजार) ऑनलाईन जमा करना होगा। तभी छात्र की च्वाईस लॉकिंग हो पायेगी, एवं च्वाईस लॉकिंग की रसीद प्राप्त कर सकेगा।
5. छात्रों को नवीन आवंटन उनके विकल्प एवं मेरिट का परस्पर मिलान करते हुये किया जायेगा।
6. आवंटन उपरान्त छात्र को आवंटित संस्था में समय सारणी में दर्शाई गई निर्धारित समय सीमा में प्रवेश पूर्ण करना होगा।
7. जिस महाविद्यालय में छात्र प्रवेशित होंगे वहॉ पर वर्तमान सत्र 2018—19 के लिए निर्धारित फीस संरचना उन पर लागू होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश अनुसार छात्र द्वारा संबंधित महाविद्यालय में वर्तमान सत्र 2018—19 की फीस जमा की जायेगी। यह प्रक्रिया संस्था स्तर पर ऑफलाईन की जायेगी।

8. इन छात्रों का प्रवेश वर्ष 2018–19 माना जायेगा।

9. यह आवंटन केवल एक बार ही होगा।

10. प्रवेशित छात्रों को अपने मूल दस्तावेज आर0के0डी0एफ0 मेडिकल कालेज भोपाल से स्वयं प्राप्त कर नवीन संस्था में जमा करना होगा।

11. संस्था स्तर पर अधिष्ठाता के द्वारा गठित प्रवेश समिति इन छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन कर पात्र पाये गये छात्र को नियमानुसार प्रवेश देगी।

12. विश्वविद्यालय में परिवर्तन की स्थिति में स्थानांतरण नामांकन इत्यादि छात्रों को स्वयं नियमानुसार करवाना होगा।

13. संबंधित संस्था में उपस्थित शासकीय नोडल अधिकारी छात्रों की उपस्थिति दर्ज करेंगें एवं उन्हें दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य संपादित करेंगे।

14. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष काउंसिलिंग समिति संचालक चिकित्सा शिक्षा का निर्णय मान्य होगा।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश